UPMP010020952026

Presented on : 11-05-2026
Registered on : 11-05-2026
Decided on : 15-06-2026
Duration : 0 years, 1 months, 4 days

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी।
(Presided Over by Rupesh Ranjan)

Criminal Misc. Cases/202/2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 56/2026

मोनू आदि

बनाम

हर्षिता उर्फ अंकिता बैस

15.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

2– आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामला वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट संख्या 8 मैनपुरी में लम्बित है और अभी अंतिम बहस की स्थिति में है। सम्बन्धित अदालत के पीठासीन अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त है जिस कारण मामले में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है और अंतिम फैसला रुका हुआ है। आवेदक का पुत्र मोनू और विपक्षी(पत्नी) के बीच पूर्ण रूप से समझौता हो चुका है जिसके तहत दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय लिया है। परिवार न्यायालय में द्वितीय प्रस्ताव फाइल करने की अनिवार्य शर्त यह है कि उपरोक्त आपराधिक मामला का निस्तारण हो चुका हो कोर्ट रिक्त होने के कारण आवेदक अपना तलाक प्रोसेस पूरा करने में असमर्थ है। अदालत खाली होने की वजह से आवेदक के Speedy Trial के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उपरोक्त मामले का निस्तारण समय पर नहीं हुआ तो दोनों पक्षों के बीच हुआ आपसी तलाक समझौता टूट सकता है जिससे दोनों पक्षों का भविष्य अधर में लटक जायेगा। मामला अंतिम बहस पर है। इसे किसी अन्य कार्यरत अदालत में स्थानान्तरित करना न्याय संगत होगा ताकि समझौता की शर्तों के अनुसार मामला जल्द समाप्त हो सके। आवेदन नेक नियति से दिया गया है और इससे किसी भी पक्ष को कोई कानूनी हानि नहीं होगी। न्यायहित में परिवाद संख्या 13/26 को रिक्त अदालत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट संख्या 8 मैनपुरी से स्थानान्तरित करके किसी अन्य सक्षम/कार्यरत अदालत में भेजने की याचना की गई है।

3– प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगाई गयी । **प्रभारी अपर सिविल**

जज(जू.डी.), कोर्ट संख्या–8, मैनपुरी द्वारा यह आख्या दी गयी है कि 'परिवाद संख्या –13/2026, अन्तर्गत धारा–498A,323, 506 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, हर्षिता उर्फ अंकिता बैस बनाम मोनू आदि की पत्रावली अपर सिविल जज (जू.डि.), कोर्ट संख्या –8, मैनपुरी में लम्बित है। उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत है। यदि उक्त पत्रावली को अपर सिविल जज (जू.डि.), कोर्ट संख्या –8, मैनपुरी की कोर्ट से स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो इस पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।'

4– आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि उनका मामला वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट संख्या 8 मैनपुरी में लम्बित है और अंतिम बहस की स्थिति में है। सम्बन्धित अदालत

रिक्त होने के कारण कानूनी कार्यवाही रुकी हुई है। आवेदक का पुत्र मोनू और विपक्षी(पत्नी) के बीच पूर्ण रूप से समझौता हो चुका है, लेकिन परिवार न्यायालय में दूसरा प्रस्ताव दाखिल करने के लिए इस आपराधिक मामले का निपटारा होना आवश्यक है। चूंकि न्यायालय अपर सिविल जज अवर वर्ग कोर्ट नं.–8 वर्तमान में रिक्त है तथा पत्रावली बहस पर चल रही है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतु उसका सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित होना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक मोनू की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। परिवाद संख्या –13/2026, अन्तर्गत धारा–498A,323, 506 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, हर्षिता उर्फ अंकिता बैस बनाम मोनू आदि की पत्रावली **अपर सिविल जज(जू.डी.), कोर्ट संख्या–8, मैनपुरी** कोर्ट से रिकॉल कर विधि अनुसार निस्तारण हेतु **न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या –1**मैनपुरी में स्थानान्तरित की जाती है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

रूपेश रंजन

दिनांक 15–06–2026

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.15 12:27:39 +0530

-